मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 384/97/सी/चार, भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 98

प्रति,

समस्त कोषालय अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :- कोषालय में प्रस्तुत देयकों से अधिक राशि के आहरण के प्रयास तथा शासकीय धन को हानि की रोकथाम हेतु निर्देश।

संदर्भ :- वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 160-आर-1487/चार/नि-5/68 दिनांक 24-1-70, इ-3/6/75/4-5/चार, दिनांक 19-1-76 तथा ई-3/20/78/नि-5/चार, दिनांक 24-3-78

कोषालय से अनाधिकृत राशि के आहरण की रोकथाम तथा शासकीय धन की हानि की रोकथाम हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है। इसके साथ ही नियमों में इस हेतु पर्याप्त व्यवस्था है। सावधानी न बरतने से पर्याप्त व्यवस्था के बावजूद वेतन देयकों में सकल राशि एवं शुद्ध राशि की जांच किये बगैर देयक पारित किये जाने से अधिक राशि के आहरण के कतिपय प्रकरण शासन के ध्यान में आये हैं।

2. आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से अनाधिकृत आहरण की रोकथाम के लिये कोषालय स्तर पर देयक पारित करने के पूर्व जांच के संबंध में निम्न लिखित निर्देशों का पालन किया जावे :-

(1) कोषालय में भुगतान के लिये प्रस्तुत देयकों में गणना संबंधी त्रुटियों की जांच की जावे।

(2) देयकों से काटे गये कटोत्रो से संबंधित शेड्यूल की सावधानी पूर्वक जांच की जावे। शेड्यूल में अंकित राशि एवं देयक में अंकित राशि के मिलान उपरान्त ही देयक पारित किया जावे।

(3) देयकों के योग मे की गई समस्त कांट-छांट एवं उपरिलेख आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।

(4) देयक पारित होने के पश्चात व्हाउचर स्लिप आवश्यक प्रतिपूर्ति के उपरांत आहरण संवितरण अधिकारियों को वितरित की जाने की समुचित व्यवस्था हो जावे।

(5) देयक पारित करने के पूर्व मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 सहायक नियम 161 में उल्लेखित निर्देशों का पालन किया जाय।

(6) आकस्मिक व्यय, यात्रा भत्ता चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक इत्यादि से संबंधित देयकों में बजट आवंटन एवं उपलब्ध राशि की जांच सावधानी पूर्वक की जावे।

(7) वेतन देयकों में पद निर्माण से संबंधित आदेशों के अनुसार स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही वेतन आहरण किया जा रहा है, की जांच की जाये। कोषालय द्वारा जारी किये जाने वाले चैक की सावधानी पूर्वक जांच की जावे। आहरण संवितरण अधिकारी को जारी किये जाने वाले चैक एवं देयक में अंकित शुद्ध राशि का ठीक से मिलान किया जावे।

(8) कोषालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना की जा चुकी है। इसका उपयोग भी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु किया जा सकता है। किसी भी आहरण एवं संवितरण अधिकार द्वारा विगत माह में वेतन भत्तों पर आहरित की गई राशि की तुलना वर्तमान व्यय से करने पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं तथा यदि असामान्य परिवर्तन परिलक्षित होता है तो विस्तृत जांच अवश्य की जावे।

3. कोषालय स्तर पर उपयुक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से आदेशानुसार
हस्ता/-

(जी. पी. सिंघल)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. 385/97/सी/चार

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 98

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल।
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल।
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।
9. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/आडिट 1/2 मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर।
10. सभी संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
11. सभी प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
12. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यंप्रदेश।

हस्ता/-

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग